

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 2393/2025

Naved Khokhar Son Of Shri Mohd. Lukman,

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan,

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhrigu Sharma, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Rajesh Choudhary, GA cum AAG Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Novit Hatila, Adv. श्री बीजू जार्ज जोसफ, आईपीसी सीपी जयपुर श्री उदयभान सीआई, एसएचओ हरमाड़ा

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

05/05/2025

न्यायालय के आदेश दिनांक 25.04.2025 की पालना में संबंधित कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री बीजू जार्ज जोसफ उपस्थित हैं और उनके द्वारा यह तथ्य प्रकट किया गया है कि प्रकरण में याची के संदर्भ में जो अंतरिम आदेश पारित किया गया है, उसके संदर्भ में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। मात्र याची को यह निर्देशित किया जाए कि वह अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो जाएं, जिससे कि प्रकरण में आगामी अनुसंधान किया जा सके।

याची अधिवक्ता को इस संदर्भ में कोई आपत्ति नहीं है और वह अनुसंधान में सहयोग करने हेतु तत्पर है। अतः ऐसी स्थिति में कमिश्नर पुलिस की व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्हें इस प्रकरण में आगामी तिथि तक छूट प्रदान की जाती है।

इस संदर्भ में याची को यह निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित अनुसंधान अधिकारी के समक्ष दिनांक 26.05.2025 को या उससे पूर्व उपस्थित हों तथा अनुसंधान अधिकारी नियमानुसार उनके संदर्भ में अनुसंधान करें। याची के संदर्भ में इस प्रकरण में पूर्व में ही कोई दंडात्मक कार्यवाही न किए

जाने के स्पष्ट निर्देश हैं। अतः उक्त निर्देशों को यथावत रखते हुए जीए कम एएजी को यह निर्देशित किया जाता है कि आगामी तिथि पर प्रकरण की तथ्यात्मक रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

प्रकरण दिनांक 03.07.2025 को सूचीबद्ध हो। तब तक याची के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही उक्त एफआईआर के संदर्भ में न की जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J